सीमाशुल्कप्रधानआयुक्तकाकार्यालय
**OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS**
**हवाईअड्डाऔरएयरकार्गोकॉम्प्लेक्सआयुक्तालय / AIRPORT AND AIR CARGO COMPLEX COMMISSIONERATE**
**एयरइंडियासाट्सएयरफ्रीटटर्मिनल, दूसरातल, देवनहल्ली, बेंगलूर**
**AIR INDIA SATS AIR FREIGHT TERMINAL 2ND FLOOR: KIAP: DEVANAHALLI BENGALURU– 560300.**

**लोक सूचना सं/ PUBLIC NOTICE. NO.28/2020 DATED:13.05.2020**
**(दस्तावेज पहचान सं /DIN: 20200572MP000017D9A)**

विषय:आई.जी.एस.टी तृटि कोड़ एवं सही करने की तरीका - अक्सर पूछे जानेवाले प्रश्न-के संबंध में
**SUBJECT:IGST Error Codes & rectification methods-Frequently Asked Questions-reg.**

सभी निर्यातकर्ता, सीमा शुल्क ब्रोकर्स,एयर लाईन्स और अन्य फणधारियों का ध्यान , आई.जी.एस.टी प्रतिदाय के संबंध में होनेवाले विभिन्न त्रुटियों के समाधान के लिए सी.बी.आई.सी. द्वारा निर्धारित कार्यवाहियों की ओर आकर्षित किया जाता है । अब सी.बी.आई.सी द्वारा दिनांक **21.4.2020** के परिपत्र के तहत दिनांक **31.12.2019** तक दायर किये गए लदान बिल के लिए एस.बी.**005** त्रुटियों को सही करने के लिए समय सीमा बढाई गई है ।

Attention of all Exporters, Customs Brokers, Airlines and other stakeholders is invited to the procedures for resolution of various kinds of errors in IGST Refunds prescribed by CBIC. Now the time limit for correction of SB 005 errors is extended for the Shipping Bills filed upto 31.12.2019, vide CBIC circular 22/2020 Cus. dated 21.04.2020.

2. सभी निर्यातकर्ता/फणधारियों की सुविधा के लिए सभी प्रकार की त्रुटियों को सही करने के लिए निर्धारित कार्यवाहियों को एक और बार ।नीचे दोहराया जाता है ।
The procedure for rectification of all types of errors is reiterated once again below, for the benefit of all exporters/stakeholders.

| कोड का अर्थ/**Code Meaning** |
|---|
| /SB000 सफलतापूर्वक मान्य किया गया है / Successfully validated |
| SB001 अवैद्य एस.बी विवरण / Invalid SB details |
| .SB002 ई.जी.एम नहीं दायर किया गया / EGM not filed |
| SB003 जी.एस.टी.एन. विसंगति GSTIN mismatch |
| SB004 रिकार्ड पहले से प्राप्त किया गया और मान्य किया गया / Record already received and validated |
| SB005 अवैद्य बीझक सं/ Invalid invoice number |
| SB006 गैटवे ईजी.एम उपलब्ध नहीं है / Gateway EGM not available |

**A .** एस.बी.001 त्रुटि के लिए क्या करना है / **What should be done for error code SB001?**

यह त्रुटि जी.एस.टी.आर 1/ टैबल 6 ए में प्रस्तुत गलत लदान बिल के कारण होगा । इस विसंगति का संभाव्य कारण निर्यातकर्ता द्वारा जी.एस.टी.आर 1/ टैबल 6 ए दायर करते समय लिपिक त्रुटि के फलस्वरूप होगा , जिसको प्रपत्र 9 ए को उपयोग करके जी.एस.टी.आर 1 में संशोधन करके सही कर सकते हैं । जि.एसटी.एन कामन पोर्टल में निर्यातकर्ता के लॉग इन में दिनांक 15.12.2017 से प्रपत्र 9 ए जि.एस.टी.एन द्वारा उपलब्ध किया गया है ।

This may occur due to mention of wrong shipping bill number furnished in GSTR 1/Table 6A. The possible reason for such mismatch could be a clerical error made by the exporter at the time of filling of GSTR 1/Table GA, which can be rectified by making amendments in GSTR 1 by using Form 9A. Form 9A has been made available by GSTN w.e.f. 15.12.2017 in exporter's login at the GST common portal.

**B.** त्रुटि कोड एस.बी.002 के लिए क्या करना है ?

**What should be done for error code SB002?**

निर्यातकर्ता को उनके शिप्पिंग लाईन /एयर लाईन/ कैरियर को तुरंत ई;जी.एम दायर करने के लिए संपर्क करना है ।

Exporter has to approach their shipping line/airline/carrier to file the EGM immediately.

**C.** त्रुटि कोड एस.बी.003 के लिए क्या करना है ?

**What should be done for error code SB003?**

यह त्रुटि तब होगा जब एस.बी; में घोषित जी.एस.टी.एन , जी.एस.टी रिटर्न में अंकित जी.एस.टी.एन के साथ मेल नहीं करता । इस मामले में भी निर्यातकर्ता को संशोधन प्रपत्र 9ए को उपयोग करते हुए जी.एस.टी.आर 1 में आवश्यक संशोधन करना है । निर्यात कर्ता को यह जानना चाहिए कि एक बार ई.जी.एम दायर करने के बाद लदान बिल में संशोधन करने के लिए प्रावधान नहीं है ।

This error occurs when GSTIN declared in the SB does not match with the GSTIN mentioned in the corresponding GST return. In this case too, the exporter has to make necessary changes in GSTR 1 by use of amendment Form 9A. Exporters should note that there is no provision of amendment in the shipping bill once the EGM is filed.

**D.**एस.बी.004 त्रुटि कोड के लिए क्या करना है ?

**What should be done for error code SB004?**

यह त्रुटि जब लदान बिल -बीजक रिकार्ड जी.एस.टी.एन से दो बार/ बार बार अंतरण करने से होता है । पहले से अंतरण आई.जी.एस.टी प्रतिदाय के लिए आई.सी.ई.एस द्वारा वैद्य किया हुआ होगा ।

This error occurs due to duplicate/ repeat transmission of shipping bill-invoice record from GSTN. The previous transmission would have already been validated for IGST refund by ICES.

**E.** एस.बी.005 त्रुटि कोड़ के लिए क्या करना है ?

**What should be done for error code SB005?**

सामान्य रूप से निर्यातकर्ता द्वारा किये जानेवाले त्रुटि है , जो उसी आपूर्ति के लिए जि.एस.टी.आर.आई 1 में घोषित बीजक सं और लदान बिल के बीजक टैबल में घोषित बीजक सं में विसंगति होता है । यह निम्न लिखित कारणों से भी होगा :

This is the most common error committed by the exporters, which occurs due to mis-match of invoice number as declared in the invoice table of the shipping bill and that declared in the GSTR1 for the same supply. This can happen due to:

जी.एस.टी.आर.आई डाटा में इंदराज करते समय होनेवाले टाईपोग्राफिकल त्रुटि

Typographical mistake while entering data in GSTR1 or

निर्यातकर्ता दो सेट के बीजक उपयोग करते हैं , एक बीजक जी.एस.टी के लिए और एक और बीजक निर्यात के लिए जिससे बीजक सं में विसंगति होता है ।

The exporter uses two sets of invoices, one invoice for GST and another invoice for exports resulting in mismatch of invoice numbers.

जी.एस.टी के कार्यान्वयन के बाद , परामर्शदाताओं को यह सपष्ट किया गया कि एक निर्यातकर्ता को एस.बी.दायर करते समय बीजक कालम में यह विवरण इंदराज करना चाहिए जो जी.एस.टी बीजक नियम के अनुपालन में उनके द्वारा जारी किये गए बीजक होगा ।निर्यात को वैद्य बनाने एवं आई.जी.एस.टी भुगतान के लिए बीजक संख्या को जी.एस.टी.एन के साथ मेल होना चाहिए । यह सूचित किया गया और दोहराया गया था कि जी.एस.टी के कार्यान्वयन के बाद, जी.एसटी खानून के अनुसार, आई.जी.एस.टी का भुगतान निर्यातकर्ता एवं परेषिति के बीच की आपूर्ति के वास्तविक व्यवहार मूल्य के आधार पर किये जाने के कारण वाणिज्य बीजक एवं जी.एस.टी बीजक में कोई विसंगति न हो और वह वाणिज्य बीजक में घोषित संख्या ही होना चाहिए ।

After the implementation of GST, it was explained in the advisories that the details an exporter is required to enter in the "invoice" column while filing the SB pertains to the invoice issued by him compliant to GST invoice Rules. The invoice number shall be matched with GSTN to validate exports and IGST payment. It was conveyed and reiterated that there should not be any difference between commercial invoice and GST invoice after implementation of GST since as per the GST law, IGST is to be paid on the actual transaction value of the supply between the exporter and the consignee, which should be the same as the one declared in the commercial invoice.

यदि एस.बी.005 जी.एस.टी.आर.ई में डाटा इंदराज के कारण हो तो , उसको प्रपत्र 9 ए में संशोधन करके सही कर सकते हैं । पर एक बार ई.जी.एम दायर करने के बाद एस बी में कोई त्रुटि को संशोधित नहीं कर पायेंगे । और अगर निर्यातकर्ता ने एस बी में अलक बीजक उपयोग किया है तो उसको जी.एसटी बीजक के बदले में जी.एस.टी.आर आई में शामिल नहीं कर सकते हैं । इस तरह , एस.बी.005 त्रुटि को जी.एस.टी. आर आई या लदान बिल में किसी भी संशोधन से सही नहीं कर पायेंगे । बीजक विसंगति के कारण , अधिकतम एस.बी की असफलता , प्रतिदाय कार्यवाही में होने को ध्यान में रखते हुए , एक अंतरिम कार्यवाही , एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए जहाँ बीजक मेल , को शिप्पिंग बिल मेल से बदला गया और उसको मैनुअल सहीपन एवं अधिकारी इंटरफेस द्वारा निर्धारित किया गया है ।

If SB005 is due to a data entry mistake in GSTR1, it can be amended in Form 9A. But any mistake in the SB cannot be amended once EGM is filed. Also, if the exporter has used a separate invoice in the SB, he cannot include that in his GSTR1 in lieu of his GST invoice. Thus, SB005 error, as of now, cannot be corrected by any amendment either in GSTR1 or in the Shipping Bill.Considering the large numberof SBs failing in refund procedure due to invoice mismatch, an interim procedure, for a specified period wherein invoice matching was replaced with Shipping Bill matching has been prescribed through manual correction and officer interface.

इस तरह बोर्ड ने मैनुअल सहीपन को दिनांक 23.2.2018 के परिपत्र सं5/2018 Cus द्वारा निधोरित किया और इस सुविधा को दिनांक 21.4.2020 के परिपत्र सं 22/2020 सी.शु के तहत दिनांक 31.12.2019 तक दायर किये गए सभी शिप्पिंग बिल के लिए पदान किया गया । जब निर्यातकर्ता जी.एस.टी.आर 1/प्रपत्र 9 में संशोधन समाप्त करता है तो उनको उकृत परिपत्र में निर्धारित किये गए अनुसार पोर्ट में तैनातित को सीमा शुल्क अधिकारा ी को एक सामंजस्य टैबल प्रस्तुत करना है । सीमा शुल्क अधिकारी अपने अधिकारी इंटरफेस को उपयोग करते हुए प्रस्तुति के पहले प्रस्तुत किये गए विवरण का सत्यापन सामंतस्य टैबल के अनूसार करेंगे। उकृत कार्यवाही के समापन के बाद सिस्टम बैकएंड में अधिकतम धनवापसी उपभोज्य वस्तुओं को हटाकर स्क्राल राशि का संकलन करेगा और सामन्य कार्यवाही के अनुसार स्क्राल जेनरेशन के लिए एस बी को उपलबध करेगा । अन्य मामलों की तरहपी.एफ.एम.एस द्वारा प्रतिदाय राशि की क्रेडिट को भी सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से किया जाएगा । एसीसी आयुक्तालय में , सहायक आयुकृत सीमा शुल्क जो आई.जी.एस.टी प्रतिदाय के प्रभार है उन्हीं के पास अधिकारी इंटरफेस होता है । पर, यह भी ध्यान में रखा जाए कि, ये अंतरिम कार्यकलाप पिछले एस.बी के लिए एक समयी उपाय के रूप में उपलबध होगा । अत: निर्यातकर्ताओं को यह सुझाव दिया जाता है कि इस त्रुटि को दोहराना नहीं है और यह सुनिश्चित करें कि दोनों तरु जी.एस.टी अनुपानल निर्यात बीजक ही घोषित किया जा रहा है ।

Thus the Board has prescribed manual correction vide Circular No.5/2018 Cus. dt 23.02.2018 and extended this facility for all those shipping bills filed upto 31.12.2019, vide Circular No.22/2020 Cus. dt 21.04.2020.After the exporter completes the amendment in GSTR1/Form 9A, he has to submit the concordance table as prescribed in the cited circular to the Customs Officer at the Port. The Customs Officer using his officer interface shall verify the details furnished as per concordance table before submission. On completion of the above exercise, the system at the backend would calculate the scroll amount excluding the IGST amount for higher drawback availed items and make the SB available for scroll generation as per the usual process. The credit of refund amount through PFMS shall also be done automatically by system like other cases. The Assistant Commissioner of Customs in charge of IGST refunds is the officer having officer interface facility at ACC Commissionerate. It may, however, be noted that these interim workarounds shall only be available as a one-time measure for the past SBs. Hence, it is advised that the exporters be informed to not repeat this

mistake and ensure that the same GST compliant export invoice is declared at both ends.

**F. एस.बी 006 कोड त्रृटि के लिए क्या करना है ?**

**What should be done for error code SB006?**

गैटवे पोर्ट द्वारा किये गए निर्यात के मामलों में , यदि गैट ई.जी.एम का ईलेक्ट्रानिक दायर नहीं किया गया तो, या उसमें कुछ त्रृटि होने पर एस.बी.**006** प्रदर्शित होता है । यह पता लगाया गया है कई शिप्पिंग बिल के मामलों में घरेलू ई.जी.एम दर्शाने पर भी, गैट वे ई.जी.एम आई.सी.ई.एस में नहीं दर्शाया जाता है । जैसे सीमा शुल्क इस पोर्ट में एयरलाईन्स के साथ इस मामले पर संपर्क करता है, वैसे निर्यातकर्ता/सी.एच.ए/ एजेंट भी एयरलाईन्स को ई.जी.एम ईलेक्ट्रानिकली दायर करने के लिए संपर्क कर सकते हैं

In cases of exports through gateway ports, if the Gate EGM is not filed electronically or it contains some error, response code SB006 appears. It is noticed that gateway EGM in case of many shipping bills are not reflected in the ICES though the domestic EGM is shown. While the Customs at this port are pursuing this matter with the airlines, the exporters/CHA/Agents can also approach their airlines to file the EGMs electronically.

**G. एसबी 000 त्रृटि क्या है**

**What is SB000 error?**

यह अनुक्रिया कोड उस समय उपलब्ध होतो है जब, सारे निर्णयन किये गए मापणड जैसे जी.एस.टी.एन/एसबी सं, बीजक सं आदि जी.एस.टी.एन एवं सीमा शुल्क के डाटा बैस के बीच मेल होता है । इस कोड का अर्थ है कि एसबी आई.जी.एस.टी प्रतिदाय स्क्राल में शामिल करने के लिए पात्र है । बहरहाल यह भी हो सकता है कि , एस.बी.**00**व होने पर भी एस.बी प्रतिदाय स्क्राल में नहीं प्रदर्शित होगा । जिसका कारण हो सकता है कि:

क) निर्यात बंधपत्र या एल.यू.टी के अधी किया होगा , अतः प्रतिदाय के लिए देय नहीं होगा ।

ख) अगर एक शिप्पिंग बिल में विभिन्न बीजक शामिल है तो , कुछ बीजकों को सफलता पूर्वक वैद्य किया हुआ होगा पर अन्य बीजक अन्य कुछ और त्रृटियों के कारण एसबी**000** हो ने पर भी अटका हुआ होगा ।

ग)यदि उस एस बी के लिए अधिकतम दर पर धनवापसी की मांग किया गया तो , वह एसबी को आई.जी.एस.टी प्रतिदाय के लिए पात्र नहीं होगा ।

घ) जहाँ आई.जी.एस.टी मांग रु **1000** से कम होगा ।

This response code comes when all the decided parameters like GSTIN, SB number, Invoice Number etc. match between GSTN and Customs databases. This code implies that the SB is ripe for inclusion in the IGST refund scroll. However, it might happen that even with SB000, the SB does not appear in the refund scroll. This could be due to:

a) The exports might have been made under bond or LUT, hence not liable for refund.

b) If a shipping bill covers multiple invoices, few of the invoices might have been successfully validated with code SB000 whereas other invoices might be stuck with any of the other errors.

c) Higher rate of Drawback has been claimed for that SB, thus making the SB ineligible for IGST refund.

d) Where the IGST claim amount is less than Rs. 1000/-.

उपर्युक्त सभी मामलों में, स्क्राल राशि ,(आई.जी.एस.टी मांग के सिथति रिपोर्ट एस.बी वार जॉच किया जा सकता है ) अपने आप शून्य होगा एवं एस.बी प्रतिदाय स्क्राल में शामिल नहीं होगा । और दो कारण है जहाँ एस.बी तात्कालीन आईजी.एस.टी स्क्राल में शामिल होगा पर अंतिम स्क्राल में प्रदर्शित नहीं होगा । यह तब हो सकता है कि जब आई.सी.एस के आई.ई.सी में ,,चेतावनी/निलंबन होने पर या पी.एफ.एम.एस द्वारा आई.ई.सी का खाता वैद्य न किये जाने पर ।

In all the above cases, the scroll amount (check SB Wise IGST Claimed Status Report) shall automatically become zero and the SBs shall not be included in the refund scroll. There are two more reasons where the SBs will figure in the Temporary IGST Scroll but not in the Final Scroll. This could happen if there is an alert/suspension on the IEC in ICES or if the account of the IEC is not validated by PFMS.

3.इस संबंध में कोई सपष्टीकरण/ मार्गदर्शन के लिए व्यापार, एयर इाडिया सेटस भवन, कूल पोर्ट, के.आई.ए.एल, देवनहल्ली , बेंगलूरु 560300 में स्थित कार्यालय में श्री के.सुनिल कुमार नायर, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, /श्रीमती के उमा देवी, अधीक्षक (आई.जी.एसटी) संपर्क 080-22001463) या उनके ई मेल पता umadevik.c029601@gov.in में संपर्क कर सकते हैं ।

- For any clarification/guidance, Trade may contact Shri K.SUNIL KUMAR NAIR, Assistant Commissioner of Customs/Smt.K.Umadevi, Superintendent (IGST) (Contact No.080-22001463) at the office at the Air India Sats Building, Cool Port, KIAL, Devanahalli, Bengaluru-560300 and also at the email id address : umadevik.c029601@gov.in.

अशोक 13/05/2020

(अशोक/ ASHOK)
प्रधान आयुक्त/ PRINCIPAL COMMISSIONER

C.No.VIII/48/97/2020 BACC TECH.
के तहत जारी की जा रही है /Issued from File C.No.VIII/48/97/2020 BACC TECH

.प्रतिप्रस्तुत/ Copy submitted to:
मुख्यआयुक्त, सीमाशुल्कबेंगलूरु, बेंगलूरुअंचल, केंद्रीयराजस्वभवन, बेंगलूरु / The Chief Commissioner of Customs, Bengaluru Zone, C.R. Building , Bengaluru
प्रतिप्रेषित/Copy to:

- सभीअपर /संयुक्त/उप/सहायकआयुक्तएयरपोर्टएवंएसीसीआयुक्तालय/ All the ADCs/JCs/DCs/ACs, Airport & ACC Commissionerate, Bengaluru
- फेडरेशनआफकर्नाटका, चेंबरऑफकामर्स, सं 9996, केंपेगौडारोड, गाँधीनगर, बेंगलूरु Federation of Karnataka, Chamber of Commerce & Industry (FKCCI), No.9996, Kempegowda Road, Gandhinagar, Bengaluru
- बेंगलूरुसीमाशुल्कबोकार्सएजेंटसंगटन, सं.71, कार्गोविल्लेज, बी-ब्लाक, बेंगलूरुअंतर्राष्ट्रीयएयरपोर्ट,देवनहल्ली, बेंगलूरु / Bangalore Customs Brokers Agents Association
- सभी एयर लाइंस उनके संगठन द्वारा/ All Airlines through Association.
- फेडरेशनआफइंडियनएक्सपोर्टआरर्गनाईसेशन, (एफ.आई.एफ.ओ, ) पहलातल, वी.आई.टी.सी, भवन, कस्तूरिबारोड, बेंगलूरुFederation of Indian Export Organisation (FIEO),Ist Floor,VITC Building, Kasturba Road, Bengaluru
- सभी संरक्षकों/All Custodians.
- बेंगलूरुसीमाशुल्कवेबसाईट/ Bengaluru Customs Website
- सूचनापट्ट/ Notice Board.
- बेंगलूरुसेप्रचलितसभीकोरियरएजेन्सी/ All Courier Agencies Operating at Bengaluru (कोरियरसंगठनद्वारा /through Courier Association)

10)मास्टरफाईल/ Master file.